357

नि॰ – 2261 – I.16

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.   /2016 निगरानी

हरीसिंह पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी ग्राम सिहोनिया तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

———आवेदक

श्री.................को द्वारा आज दि.............. प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. बचान सिंह } पुत्रगण
2. कल्याण सिंह } विजय सिंह
3. गुलाब सिंह पत्र जगदीश सिंह
   निवासीगण ग्राम सिहोनिया तह. अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.
4. गौरे सिंह } पुत्रगण
5. नगर सिंह } विजय सिंह
   निवासीगण ग्राम सिहोनिया तह. अम्बाह हॉल निवास राभनगर रेल्वे पुल तिराहे के पास मुरैना म.प्र.

———अनावेदक

6.7.16

06.7.16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. अम्बाह जिला मुरैना के प्र.क. 26/अ–27/15–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक **स्थिति** इस प्राकर है कि, ग्राम सिहोनिया के बन्दोवस्त के पूर्व भूमि सर्वे क. 669/1 **रकवा** 1.59 हे. तथा बन्दोवस्त के बाद नवीन सर्वे क. 881 रकवा 1.59 हे. के भूमि **स्वामी** आवेदक एवं अनावेदकगण हैं। अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त–3 **सिहोनिया** तह. अम्बाह जिला मुरैना के समक्ष एक आवेदन पत्र बटवारा के सम्बन्ध में संहिता **की** धारा 178 के अधीन प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 23/अ–27/05–06 **प्रस्तुत** किया गया जिस पर से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई आपत्तीयां **आहूत नहीं** की गई।

XXIX(a)-BR(H)-11

357

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2261-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	